

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर**

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/2017/

दिनांक:-

-:आदेश:-

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	कैलाश चन्द्र राव	नर्स-1	भीलवाड़ा	26.01.58	31.01.18
2.	हरिनारायण बुनकर	नर्स-1	जयपुर	25.01.58	31.01.18
3.	जयप्रकाश व्यास	नर्स-1	बांसवाड़ा	19.01.58	31.01.18
4.	अमीर हुसैन	नर्स-1	झुंझुनू	02.01.58	31.01.18
5.	आशा शर्मा	नर्स-1	क.रा.बी. औष. नं0-1 अलवर	13.01.58	31.01.18
6.	रमेश चन्द्र कोली	नर्सिंग अधी. द्वि.	अलवर	12.01.58	31.01.18
7.	मुकेश कुमार शर्मा	न0ट0	अलवर	09.01.58	31.01.18
8.	महेश कुमार शर्मा	न0ट0	अलवर	10.02.58	28.02.18
9.	चरणजीत कौर गिल	नर्स-1	श्रीगंगानगर	02.03.58	31.03.18
10.	हुसैन मोहम्मद	नर्स-1	भीलवाड़ा	12.02.58	28.02.18
11.	मोहम्मद आमीन	नर्स-1	रतनगढ़ चूरु	06.01.58	31.01.18
12.	दोमनिसिया गोस्वामी	नर्स-1	जयपुर	26.02.58	28.02.18
13.	अर्जुन लाल शर्मा	नर्स-1	जयपुर	05.04.58	30.04.18
14.	सुरेन्द्र सिंह	नर्स-1	जयपुर	01.07.58	30.06.18
15.	भंवर सिंह	नर्स-1	जयपुर	14.07.58	31.07.18
16.	गौरीशंकर शर्मा	नर्स-1	जयपुर	07.07.58	31.07.18
17.	मानसिंह नटवारिया	नर्स-1	जयपुर	13.07.58	31.07.18
18.	राजेश कुमार शर्मा	न0ट0	धौलपुर	12.03.58	31.03.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

— ३६ —  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक: 27.11.2017

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/2017/627

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, ईएसआई योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
3. अधीक्षक, एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर/पन्नाधाय चिकित्सालय, उदयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम/भीलवाड़ा/धौलपुर/रतनगढ़ चूरु।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाड़ा/झुंझुनू/अलवर/श्रीगंगानगर/भीलवाड़ा।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क0रा0बी0 औष0 नं0 1, अलवर।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर